आवश्यक/गोपनीय

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001, दूरभाष न0–0522–2207995, फैक्स न0.0522.2206120

HQRS. DIRECTOR GENERAL OF POLICE, UP.

1-Tilak Marg, Lucknow- 226001, Fax N0:0522-2206120, Email-igkarmik-up@nic.in

पत्र संख्या:डीजी–1–64/2019 दिनांक:लखनऊ:जनवरी 29 ,2019

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0
समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

विषय :– भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण Smart Performance Appraisal Report Recording Online window (SPARROW) System में आन लाइन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–45020/34/2018–आईपीएस–।। दिनांक 16–11–2018 के संदर्भ में इस मुख्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांकित 04.12.2018 एवं पत्र संख्या–डीजी–1–पीएआर–6–93/2016 दिनांक 02.01.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वार्षिक सम्पत्ति विवरण दिनांक 31.01.2019 के पूर्व आन लाइन भरने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है।

2– अवगत कराना है कि वर्ष 2018 का वार्षिक सम्पत्ति विवरण दिनांक 01.01.2019 से 31.01.19 के मध्य आन लाइन किया जाना है। समय से अचल सम्पत्ति का विवरण न भेजे जाने पर आईपीएस अधिकारियो का विजिलेन्स क्लियरेन्स नहीं किया जाता है, जिसके कारण आईपीएस अधिकारियों के पदक, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, विदेश प्रशिक्षण, इम्पैनलमेंट इत्यादि प्रकरणों में बाधा उत्पन्न होती है।

3– शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली क नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2019 तक वार्षिक सम्पत्ति का विवरण आन लाइन नहीं भरा जायेगा, उनके विरूद्ध शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4– अनुरोध है, कृपया गृह मंत्रालय भारत सरकार के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार वर्ष 2018 का वार्षिक सम्पत्ति का विवरण आन लाइन भरने का कष्ट करें।

(नीरा रावत)
अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि 1–पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक, पी0ए0सी0/सहायक पुलिस अधीक्षक को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।